COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

37/५५ II/13

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2013 पुनरीक्षण

रामजीलाल सक्सेना पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल सक्सेना आयु– 63 वर्ष कृषक ग्राम इन्दरगढ़ हाल निवासी– 536 / 1, पंचशील नगर, दतिया

—— आवेदक

बनाम

1. श्रीमती पिस्ता देवी पत्नी चरनसिंह कुशवाह निवासी– रेलवे स्टेशन के पास, सोनागिर जिला दतिया, म0प्र0
2. श्रीमती ममता पत्नी दयाराम साहू निवासी– वार्ड न0 8, इंदरगढ़ जिला दतिया म0प्र0

—— अनावेदकगण

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 3744-दो/13 जिला दतिया

आदेश दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
4-6-14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0 579-दो/13 में पारित आदेश दिनांक 6-8-13 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया तथा विवादित आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है : 1- नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था सम्यक तत्परता के पश्चात भी नही मिल पाई थी. 2- अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3- कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर	